न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—113/18 (2018/00192) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चौथमल आत्मज रामा कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सोहनलाल आत्मज रामलाल कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल निवास प्लाट नम्बर 35 छत्रपति शिवाजी नगर सुरत सर्वे नम्बर 4516 गुजरात

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1.—हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1665 रकबा 0.42 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजी में संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन ग्राम नान्दशा से खुटिया जाने वाले रास्ते से होकर उसके पश्चिम में स्थित पड़त भुमि से होकर आगे विपक्षी की आराजी संख्या 1661 के पश्चिमी दक्षिणी कोने से होकर करता है। रास्ता करीबन 15 फीट चौड़ाई में है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने का कोई रास्ता नही है एवं न ही कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौजुद है, यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी आवागमन का अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करता है जिससे यह रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी पीढ़ीयो से इसी रास्ते से लगातार व बेरोकटोक आवागमन करता चला आ रहा है किन्तु दिनांक 03.12.2018 को विपक्षी ने धमकी दी कि तुम इस रास्ते मत आना क्योंकि यह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है और बन्द कर दिया। जिससे इस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। यह रास्ता प्रार्थी के सुविधाजनक उपयोग उपभोग हेतु नही है। उक्त रास्ते की भूमि विपक्षी के नाम खातेदारी दर्ज होने व रास्ते को बन्द कर देने से उसे विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 27.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी बावजुद सूचना के उपस्थित नही हुआ है। जिससे विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.07.2019 को आदेश एक नियम 10 सी.पी.सी. के तहत् राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थी के नाम स्थित खातेदारी भूमि 1665 में आने जाने हेतु प्रार्थी आराजी नम्बर 1670 बिलानाम आम रास्ता से होता हुआ विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1661 के दक्षिणी पश्चिमी कोन से होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि में आजा जाता है। उक्त रास्ते के अलावा विपक्षी के आराजियात में जाने हेतु समीप, वैकल्पिक एवं सरकारी आम रास्ता नही है वर्तमान में प्रार्थी इसी रास्ते होकर आ जा रहा है लेकिन ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने में असुविधा हो रही है जिससे प्रार्थी को ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता की आवश्कता है जिसका रकबा 150 वर्गमीटर

बनता है। तहसीलदार से उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि की बाजार दर चाही जाने पर प्रस्तावित भूमि की दर 138300/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार 150 वर्गमीटर की राशि 9600/—रूपये का दुगुना करने पर 19200/— रूपये रास्ते की भूमि किमत बनमी है जो जमा होने पर प्रस्तावित रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाकर प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवनाथपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 1665 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 के आराजी संख्या 1661 मे रकबा 0.55 हैक्ट. मे से 0.0150 है0 अर्थात 150 वर्गमीटर का उपयोग रास्ते हेतु किया जा रहा है उक्त रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 138300 रू. प्रति बिघा है तथा कुल 150 वर्गमीटर भूमि की कीमत 9600 रू. बनती है जिसका दुगुना 19200 रू. का भुगतान प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 1661 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर आम रास्ते से 15 फीट चौड़ा व 108 फीट लम्बा रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.11.19

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—113 / 18 (2018 / 00192) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चौथमल आत्मज रामा कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—सोहनलाल आत्मज रामलाल कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल निवास प्लाट नम्बर 35 छत्रपति शिवाजी नगर सुरत सर्वे नम्बर 4516 गुजरात
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :— तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात में जाने हेतु रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.11.2019 को स्वीकार किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम शिवनाथपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 1665 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 के आराजी संख्या 1661 मे रकबा 0.55 हैक्ट. मे से 0.0150 है0 अर्थात 150 वर्गमीटर का उपयोग रास्ते हेतु किया जा रहा है उक्त रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 138300 रू. प्रति बिघा है तथा कुल 150 वर्गमीटर भूमि की कीमत 9600 रू. बनती है जिसका दुगुना 19200 रू. का भुगतान प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 1661 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर आम रास्ते से 15 फीट चौड़ा व 108 फीट लम्बा रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें।

अतः आप उक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधी में पेश करे।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

28.11.19

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:29:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: